Policy No: 943516151



Money back (20 years) भारतीय जीवन बीमा निठाम With Pr

With Profit

Life Insurance Corporation of India

(जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 द्वारा संस्थापित) (Established by the Life Insurance Corporation Act, 1956)

प्रपत्र संख्या FormNo.: 75/93/106/107/108

भारतीय जीवन बीमा निर्क्क (जिसे आगे निगम सम्योधित किया गया है) तालिका में नामांकित प्रस्तावक एवं चीमित व्यक्ति से एक प्रस्ताव, घोषणा तथा प्रथम प्रीमियम प्राप्त करने के उपरान्त और उल्लिखित प्रस्तावक व निगम उक्त प्रस्ताव एवं घोषणा में समाहित व संदर्भित प्रकथनों को इस बीमे का आधार मानकर इस पॉलिसी के द्वारा इस बात से सहमत होते है कि उपरोक्त तालिका में अंकित अगली ग्रीमियम ग्रिशियों के प्राप्त होते रहने पर निगम उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों पालिस के द्वारा इस बात स सहमत हात है कि उपराक्षत तालिका म आकत अभरता आमिषन धारामा क आप हात १०१ पर ताम उठ व्यानका को निन्हें तालिका की रातों के अनुसार बीमाधन देव होता है, निगम के समक्ष इस बात का सन्तोपजनक प्रमाण प्रस्तुत करने पर हो तालिका में लिखे अनुसार बीमाधन देव होने साले धन के भुगतान के लिए दावा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति अधिकारी है तथा प्रस्तावपत्र में अंकित आयु यिर पहले स्वीकृत नहीं हुई है, प्रमाणित करा लेने पर, इस पॉलिसी के लिए अपने घीमा सेवा मंडल/शाखा कार्यालय के द्वारा घीमाधन का (लाभ सहित पॉलिसियों में बोनस के रूप में नियित की गई रकमों के साथ) बिना किसी व्याज के भुगतान करेगा। और एतद् द्वारा यह घोषित किया आता है कि यह पॉलिसी इसके पृष्ठ भाग पर छपी हुई शतों एवं सुविधाओं के अधीन होगों तथा उपरोक्त तालिका व निगम द्वारा अंकित प्रयोक पृष्ठांकन पॉलिसी के अंग माने जायेंगे।

हमा कुई राता एवं सुविधाओं के अधान होगा तथा उपाक्त तीवालंग में निगम द्वारा आकर्त प्रत्यक पूछाकन पालसा के अग मान जायगा
THE LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (hereinafter called "the Corporation") having received a Proposal and Declaration and the first premium from the Proposer and the Life Assured named in the Schedule and the said Proposal and Oeclaration with the statements contained and referred to therein having been agreed to by the said Proposer and the Corporation as basis of this assurance do by this Policy agree, in consideration of and subject to the due receipt of the subsequent premiums as set out in the schedule, to pay the Sum Assured (together with such further sum or sums as may be allocated by way of Bonus in the case of With Profits Policies) but without interest at the Branch Office of the Corporation where this Policy is serviced to the person or persons to whom the same is payable in terms of the said Schedule, on proof to the satisfaction of the Corporation of the Sum Assured having become payable as set out in the Schedule, of the title of the said person or persons claiming payment and of the Corporation of the Sum Assured stated in the Proposal if not previously admitted.

And it is hereby declared that this policy of Assurance shall be subject to the Conditions and Previleges printed on the back hereof and that the following Schedule and every endorsement placed on the Policy by the Corporation shall be deemed part of the Policy.

सातारा विभाग तालिका ः शास्त्रा कार्यालय SATARA DIVISIONI C.B.O SCHEDULE **BRANCH OFFICE** पॉलिसी संख्या एवं देय तिथि एवं देय प्रीमियम किस्त वीमाधन प्रस्ताव संख्या एवं तिथि तालिका व अवधि जोखिम की तिथि भुगतान विधि Due Date and Instalment Premium Payable Sum Assured Proposal No. & Date Policy No. and Date of **Table and Term** Commencement lode of Paymer 17/01/2011 943516151 075 20 17th 1621.00 300000 MLY 12645 17/01/2011 जोखिम प्रारंभ की तिथि Date of Commencement of Risk 17/01/2011 मीमा अधिनियम को धारा ३९ के अन्तर्गत नामित व्यक्ति Nortinee under Section 39 of the Insurance Act, 1938. पूर्णावधि तिथि **Date of Maturity** 17/01/2031 K MANORAMA अंतिम भुगतान की तिथि प्रस्तावक और बोमित व्यक्ति का नाम और पता Name and Address of Proposer and Life Assured Date of Last Payment 17/12/2030 K. SRIKANTH जन्म तिथि TYPE-3, GTR NO.2, STAFF GTRS BLOCK-A, 08/06/1985 Date of Birth BSNL BHAVAN, NR. HEAD POST OFFICE, 416416 Age / Admission आयु / स्वीकृति M.G.ROAD, SANGLI 26 किए जाने वाले भूगतान और घटनाएँ जिनके होने पर भुगतान किया जायेगा। Payments to be made and events on the happening of which they are to be made. Surviving 5 YRS from commencement :-> 20 % of SA Surviving 10 YRS from commencement :-> 20 % of SA Surviving 15 YRS from commencement :-> 20 % of SA Surviving Date of Maturity :-> 40 % of SA + BONUS Death before Date of Maturity :-> SA + BONUS प्रस्तावक या उसके समनुदेशिति या चीमा अधिनियम को भारा ३९ के अन्तर्गत उसके नामित व्यक्तियों अथवा उन प्रमानित प्रकथको प्रशासको या अन्य चैपानिक प्रतिनिधियों को दिय बीमाधन किसको मिलेगा जायेगा जिन्ने तसको सम्परा अथवा इस पॉलिसी के अन्तर्गत देय गरिर के बाले भारत र्रंघ के किसी राज्य या क्षेत्र न्यायालय से अपने प्रतिस्थि होने कर प्रधानपत्र प्राप्त होगा।
The Proposer or his Assigness or Nominess under Section 33 of the Insurance Act or proving Executors or Administrators or other Legal Representatives wh should take out representation to his Estate or Immitted to the moneys payable under this Policy from any Court of any State or Territory of the Union of India. To Whom Sum Assured payable निर्धारित शन्तिम् किस्त भुगतान की तिथि को या इसके पूर्व योषाधारक की मृत्यु होने तक Till the stipulated date of Last Payment or previous death of the Life Assured प्रोमियम चुकाने को अवधि Period during which premium payable प्रीमियम भुगतान करने कि तिथि Dates when premium payable में निर्धारित तिथि को On the stipulated due date in Every Month शर्ते और सुविधाएँ जो लागू नहीं है। Conditions and Privileges not applicable विशेष शर्ते धारा संख्यायों के अनुसार Special condition/s as per attached Clause No./s Details of Riders & clauses if any निगम की ओर से उपरोक्त शाखा कार्यालय में हस्ताक्षर किए गए । Signed on behalf of the Corporation at the above mentioned Branch Office whose address is given below and to which all communications relating to the policy should be addressed. 1 9 JAN 2011 VAISHALI, U. SHIND. दिनांक Date जॉचकर्ता Examiner प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पद

P. Sr. / Branch Manager